



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 27.04.2025

अवैध रूप से जुआं खेल रहे 15 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,
कब्जे से 2,67,000/- रुपये, 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 05 मोटर
साइकिल, 10 गड्डी 52 ताश के पत्ते, 01 सोने की चेन, 15 मोबाइल, 13 कार विभिन्न कम्पनी की, 01 ऑटो किया
गया बरामद।

(कुल अनुमानित कीमत 02 करोड़ रुपये)

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी चकरनगर के कुशल नेतृत्व में थाना बिठौली, थाना सहसों एवं जनपद में विभिन्न थाना स्तर से गठित पुलिस टीमों द्वारा की गयी कार्यवाही।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं जुआ/सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 26.04.2025 को क्षेत्राधिकारी चकरनगर इटावा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस टीम, थाना बिठौली पुलिस द्वारा थाना बिठौली क्षेत्रान्तर्गत बंसरी तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम राउनी में प्राथमिक विद्यालय के पीछे काफी लोग जुआं खेल रहे है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों मौके पर पहुँची तो 01 व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जिस पर पुलिस टीमों द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर **15 व्यक्तियों को प्राथमिक विद्यालय के पास से समय 18.25 बजे शाम को गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तार व्यक्तियों की पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से कुल 2,67,000/- रुपये, 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 05 मोटर साइकिल, 10 गड्डी 52 ताश के पत्ते, 01 सोने की चेन, 15 मोबाइल, 13 कार विभिन्न कम्पनी की, 01 ऑटो बरामद किया गया।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध मे थाना बिठौली पर मु0अ0सं0 04/2025 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम व धारा 109 बीएनएस एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 04/2025 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम व धारा 109 बीएनएस एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिठौली जनपद इटावा।

बरामदगी:- (कुल अनुमानित कीमत 02 करोड़ रुपये)

1. 2,67,000/- रुपये नकद
2. 01 सोने की चेन
3. 01 तमंचा 315 बोर
4. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
5. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
6. 52 पत्ते ताश (10 गड्डी)
7. 05 मोटर साइकिल विभिन्न कम्पनी की
8. 01 ऑटो नं0 (UP75 BT 1331)
9. 01 कार स्कोर्पियो नं0 (MP 30 C 2569)
10. 01 कार अर्टिगा नं0 (UP92AQ 8670)

11. 01 कार मारूती सुजूकी XL-6 नं0 (MP 30 ZC 4414)
12. 01 कार मारूती सुजूकी नं0 (UP 15 AK 4105)
13. 01 कार अल्टो नं0 (UP 92 AL 4633)
14. 01 मारूती सुजूकी डिजायर नं0 (UP 79 S 6465)
15. 01 कार वैगन आर नं0 (UP 75 L 3220)
16. 01 कार अर्टिगा नं0 (UP 92 AP 0767)
17. 01 कार क्रेटा नं0 (MP 07 ZV 2884)
18. 01 कार ईको नं0 (MP 07 ZP 7497)
19. 01 कार वैगन आर नं0 (UP 91 X 0481)
20. 01 कार अर्टिगा नं0 (UP 79 AE 7023)
21. 01 कार ईको नं0 (UP75 AP 1407)
22. 15 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. भानू पुत्र रामनाथ निवासी पाडरी थाना उमरी जनपद भिन्ड म0प्र0 उम्र 24 वर्ष ।
2. जबर सिंह पुत्र नवाब सिंह निवासी राउनी थाना बिठौली जनपद इटावा उम्र 55 वर्ष ।
3. सोनू सिंह पुत्र अंगद सिंह निवासी बंसरी थाना बिठौली जनपद इटावा उम्र 32 वर्ष ।
4. जितेन्द्र सिंह पुत्र धुरन्धर सिंह निवासी दुर्गानगर थाना देहात कोतवाली जनपद भिन्ड म0प्र0 उम्र 55 वर्ष ।
5. सर्वेश सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासी पाडरी थाना उमरी जनपद भिन्ड म0प्र0 उम्र 58 वर्ष ।
6. वीरेन्द्र सिंह पुत्र होम सिंह निवासी बस स्टैण्ड थाना कोतवाली जनपद भिन्ड म0प्र0 उम्र 62 वर्ष ।
7. आदेश पुत्र शिवराम मिश्रा निवासी ग्राम जायघा थाना रामपुरा जनपद जालौन उम्र 37 वर्ष ।
8. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम जायघा थाना रामपुरा जनपद जालौन उम्र 38 वर्ष ।
9. उमेश बरूआ पुत्र किशन बरूआ निवासी रघुनाथ नगर थाना कोतवाली देहात भिन्ड म0प्र0 उम्र 45 वर्ष ।
10. राकेश शर्मा पुत्र परमानन्द शर्मा निवासी पुरानी बस्ती खिड़किया मोहल्ला थाना नगर कोतवाली भिन्ड म0प्र0 उम्र 45 वर्ष ।
11. ईलू कुमार उर्फ नीलू सिंह पुत्र ओमकार निवासी नया भवानी राम लौना रोड थाना कोतवाली जनपद जालौन उम्र 32 वर्ष ।
12. प्रदुमन सिंह तोमर पुत्र तेजपाल सिंह तोमर निवासी सीता कालोनी थाना कोतवाली देहात भिन्ड म0प्र0 उम्र 22 वर्ष ।
13. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी पाडरी थाना उमरी जनपद भिन्ड म0प्र0 उम्र 28 वर्ष ।
14. दीपक कुमार पुत्र रणधीर सिंह निवासी हुस्सेपुरा जामीर थाना रामपुरा जनपद जालौन उम्र 25 वर्ष ।
15. सत्यभान सिंह पुत्र लालसिंह निवासी जायघा थाना रामपुरा जनपद जालौन उम्र 35 वर्ष ।

पुलिस टीम:-

प्रथम टीम- क्षेत्राधिकारी चकरनगर श्री नागेन्द्र चौबे, उ0नि0 बेचन कुमार सिंह (पीआरओ) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ0नि0 जगदीश भाटी, उ0नि0 तरूण प्रताप सिंह, उ0नि0 दर्शन सिंह मय टीम ।

द्वितीय टीम:- निरी0 जितेन्द्र प्रसाद शर्मा प्रभारी थाना बिठौली, हे0का0 तिलक सिंह, हे0का0 प्रवीन कुमार, हे0का0 अजयपाल, का0 सौरभ कुमार, का0 प्रदीप कुमार, का0 दिनेश कुमार, म0का0 मिथलेश, म0का0 सरला देवी, का0 चालक सुशील कुमार ।

तृतीय टीम:- निरी0 श्री संजय सिंह प्रभारी थाना वैदपुरा मय टीम, उ0नि0 मंसूर अहमद थानाध्यक्ष ऊसराहार मय टीम, उ0नि0 कपिल चौधरी थानाध्यक्ष लवेदी मय टीम ।

चतुर्थ टीम:- निरी0 रामप्रकाश सिंह प्रभारी थाना सहसों, का0 मान सिंह, हे0का0 चालक प्रमोद कुमार ।

नोट:- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीमों को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 25,000/- रुपये की राशि से पुरस्कृत किया गया ।